न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या – 46/2020

अपीलांट

सत्यनारायण पुत्र श्री सुखदेव गोदी पुत्र श्री हिराराम, जाति ब्राहम्ण, जाति ब्राहम्ण, उम्र 55 वर्ष, निवासी रूपावास, तहसील पाली जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. भरतसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह, जाति चारण उम्र 56 वर्ष, निवासी ग्राम रूपावास तहसील पाली जिला पाली।
2. प्रधुमन पुत्र श्री अर्जुनसिंह
3. श्रीमति उगमकंवर बेवा अर्जुनसिंह के कायम मुकाम
   3/1 रघुवीरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह समस्त चारण निवासीगण ग्राम रूपावास तहसील पाली जिला पाली।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 लगायत 3
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक 17/12/20

1. अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2019 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20/03/2020 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस 96 सी.पी.सी प्रार्थना पत्र पर सुनी गई।
2. वकील अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट भरतसिंह के वाद संख्या 30/2013 में दिनांक 15/06/2015 को लिखित में आपति मय दस्तावेज पेश कर राजस्व लोक अदालती केम्प रूपावास ने पेश कर अवगत कराया की अभिमन्यु सिंह का मृम्यु दिनांक 09/09/2009 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

3. होना बताकर ग्राम पंचायत से रजिस्ट्रीकरण संख्या 21 दिनांक 16/09/2009 को प्राप्त किया इसी प्रकार उद्धव सिंह की मृत्यु दिनांक 09/09/1993 होना बताकर रजिस्ट्रीकरण संख्या 56, दिनांक 10/06/2003 को प्राप्त किया। उक्त दोनो नाम ग्राम रूपावास में बेनामी है। उनके नाम की कृषि भूमि बेनामी व्यक्ति होना बताकर तैयार की गई है जो राजगामी सम्पति है। जिसके सम्बंध मे राजस्व अधिकारी ने जांच की जो दस्तावेज अपील के साथ पेश है । उक्त दस्तावेजो से एवं भरतसिंह के पेश फौजदारी मुकदमे से एवं उसके जांच अभिमन्युसिंह नाम का कोई व्यक्ति न तो जन्मा न ही पैदा हुआ। जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा की गई । जिसके आधार पर राजगामी सम्पति दर्ज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त दस्तावेज हल्का पटवारी व तहसीलदार पाली द्वारा जानबुझकर पेश नही किये, क्योकि उक्त प्रकरण के पक्षकारे के पिता व पति अर्जुनसिंह जो पूर्व मे तहसीलदार पद से रिटायर हुए तथा रघुवीरसिंह स्वयं राजस्व अधिकारी है, उनको उनके अपराध से बचाने की नियत से उक्त दस्तावेज जानबुझकर पेश नही किये एवं वादी द्वारा अपीलाण्ट को उक्त लिखित आपत्ति वाद पत्र मे होते हुए उसे पक्षकार संयोजित नही किया, न ही न्यायालय द्वारा पक्षकार संयोजित किया। इस कारण वाद को निरस्त होने के बाद अन्य कार्यवाही मे अपीलाण्ट को वाद द्वारा जानबुझकर जानकारी नही करायी गई। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नही हो सकी । राजस्व अधिकारी उक्त प्रकरण के पक्षकारो से मिले हुए है जो पूर्व जांच आर.ए.एस. अधिकारी श्री अनिल कुमार की लिखित रिपोर्ट पर एवं जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही जानबुझकर नही की गई । इस कारण प्रकरण की भूमि राजगामी सम्पत्ति मे जिसमे हित निहित है । इस कारण अपीलाण्ट की ओर से प्रकरण मे आवश्यक साक्ष्य सबूत दस्तावेज पेश किया जाना आवश्यक है अन्यथा राजगामी सम्पत्ति को भरतसिंह अपने नाम दर्ज कराकर हस्तान्तरण कर देगा एवं लाखों रूपये प्राप्त कर लेगे। इसी कारण राज्य हित द्वारा प्रभावी पक्ष प्रस्तुत नही किया गया, न ही आवश्यक दस्तावेज पेश किये तथा पीठासीन अधिकारी ने तहसीलदार के जवाब दावा का निर्णय डिक्री मे उल्लेख नही किया । इस कारण अपीलाण्ट प्रार्थी प्रभावी पक्षकार होते हुए उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व वादी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से पूर्व पक्षकार संयोजित नही किया। जिसका वाद मे हित निहित है जो आवश्यक सबुत

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

4. पेश कर रहा है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर अपील को गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जावे।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने 96 सी.पी.सी के प्रार्थना का जवाब देते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 20/03/2020 के विरूद्व उक्त अपील विधि विरूद्व तरीके से पेश की गयी है वह किसी भी प्रकार से सफल होने योग्य नही है अपितु अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 96 सी पी सी की परिधि से कवर्ड नही है । धारा 96 सी पी सी का प्रावधान मात्र उन पक्षकारो पर लागु होता है, जो वादग्रस्त सम्पति से हितबद्ध हो। इस परिपेक्ष मे अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र बार्ड बाई लॉ होने से काबिले निरस्त है।

6. अपीलाण्ट को उक्त दावे के संबधित कृषि भूमि के सम्बंध मे किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश करने का कोई अधिकार नही है। इसी वजह से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की आपत्ति को दरकिनार करते हुए पक्षकार बनाया गया है। अपीलाण्ट को बिना मूल वाद मे पक्षकार बने सीधा अपीलीय न्यायालय मे पक्षकार बनने को कोई हक अधिकार नही है । अपीलाण्ट द्वारस बार–बार रेस्पोडेण्ट वादी अभिमन्यु उर्फ भरतसिंह की जोईण्ट खरीदशुदा कृषि भूमि को बेनामी कृषि भूमि बताते हुए जनहित मे पैरवी करने की बात बताता है। जबकि उक्त प्रकरण जनहित का नही होकर प्रार्थी की खरीदशुदा व्यक्तिगत पैतृक कृषि भूमि से है। जिसमे अलीलाण्ट से किसी भी प्रकार से हितबद्ध पक्षकार नही है। उक्त कृषि भूमि के संबध मे सारी विवेचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जाकर विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है तथा जो बिन्दु अपीलाण्ट द्वारा अपीलाण्ट कोर्ट मे बताये गये है, वे सारे बिन्दु अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट द्वारा बता दिये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का रेस्पोडेण्ट वादी अभिमन्यु उर्फ भरतसिंह की उक्त सामलंती पैतृक कृषि भूमि से किसी भी प्रकार का हित सम्बंध नही होने से अपीलाण्ट की आपत्ति पर गौर तक नही किया गया, न ही अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार माना है जो तथ्य अपीलाण्ट द्वारा इस प्रार्थना पत्र मे लिखे है, इनका धारा 96 सी पी सी किसी भी प्रकार का कोई वास्ता नही है। अपीलाण्ट किस प्रकार से रेस्पोडेण्ट वादी की उक्त सामलांती खरीदशुदा कृषि भूमि से सम्बंध रखता है अथवा अपीलाण्ट का हित प्रभावित होता है इस सम्बंध मे एक भी लाईन उक्त प्राथना पत्र मे अपीलाण्ट द्वारा नही लिखल गयीहै। अपीलाण्ट द्वारा कानुनन कोई भी पक्षकार अथवा मूल वाद मे कोई पक्षकार

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

नही है तो अपीलाण्ट कोर्ट मे पक्षकार बनने के लिए आवेदन नही किया जा सकता है। जो पक्षकार दावे मे पक्षकार नही है, वे अपीलाण्ट कोर्ट मे पक्षकार नही बनाए जा सकते है। वे व्यक्ति जो प्रभावित पक्षकार नही है अथवा हितबद्ध पक्षकार नही है किसी भी दावे मे पक्षकार नही बनाए जा सकते है। वाद के डिक्री होने के पश्चात् कोई भी थर्ड पार्टी दावे मे बतौर पक्षकार संयोजित नही किये जा सकते है। उक्त विधि सम्मत कथनों की जानकारी होने के पश्चात् भी अपीलाण्ट द्वारा जानबुझकर रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान किया जा रहा है से भी अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र काबिले निरस्त है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेण्डस द्वारा विशेष कथनों से अपने तथ्यो को साबित करते हुए निवेदन किया गया की सत्यनारायण बनाम भरतसिंह के अनवान का वाद उक्त अपील से सम्बंधित वाद का अनवाद नही है अपितु जो वाद अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन था उक्त वाद का सही अनवान अभिमन्यु उर्फ भरतसिंह बनाम प्रधुम्मनसिंह वगैरा जिसके राजस्व मूल वाद संख्या 17/2019 है। उक्त मूल वाद के अनवान को अपीलाण्ट द्वारा अपनी मनमर्जी से बदलकर उक्त वाद से सम्बंधित नये अनवान की उक्त अपील पेश की गयी है जो किसी भी प्रकार से पोषणीय नही है । अपीलाण्ट को मूल वाद के अनवान को बदलने का कोई हक अधिकार नही है। उक्त अपील मे रेस्पोडेण्ट का नाम मात्र भरतसिंह लिखा गया है जो किसी भी रूप से सही नही होने से तथा अपीलाण्ट का उक्त कृषि भूमि से किसी भी प्रकार का कोई संबध नही होने तथा अपीलाण्ट हितबद्ध पक्षकार नही होने से उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से काबिले निरस्त है ।

7. उभय पक्षकार की बहस सुनी गयी, पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया तथा रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त नजीरो को ससम्मान अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं उक्त नजीरो मे वर्णित प्रतिपाद्वित सिंद्धांतो से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई पक्षकार जब मूल वाद मे पक्षकार नही होने तथा अपील के संदर्भित कृषि भूमि मे किसी भी प्रकार का हितबद्ध पक्षकार नही होने से अपील के स्टेज पर पक्षकार नही बनाया जा सकता है। इस संबध माननीय राजस्व मंडल द्वारा अपने विनिर्णय **2018(2) RRT 1196 महावीर बनाम हनुमान व अन्य में यह प्रतिपादित किया है कि "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 1, नियम 10–विभाजन की अन्तिम डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित अपील में पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना–पत्र–प्रार्थना–पत्र खारिज किया–प्रार्थी**

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

ने सभी राजस्व अपील प्राधिकारी के विरूद्ध स्थानान्तरण आवेदन पेश किये–संवत 2068 से 2071 की जमाबंदी का हवाला नहीं दिया–पक्षकार बनाना चाहे गये व्यक्ति भूमि के सहखातेदार नहीं है न उनका भूमि से कोई संबध है–प्रार्थी को विचारण न्यायालय के समक्ष जवाबदावा पेश करते हुए आपत्ति लेनी चाहिये थी–निर्णीत, आदेश में विधिक त्रुटि नहीं है व यथावत रखा।" उक्त पत्रावली का अवलोकन करने से उक्त तथ्य उभरकर सामने आता है कि अपीलाण्ट का उक्त कृषि भूमि से किसी भी प्रकार का कोई हित प्रभावित नही होता है, न ही प्रभावित पक्षकार है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होता है। इस परिपेक्ष में अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र किसी भी रूप से पोषणीय नही है ।

लिहाजा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र Under Section 96 C.P.C. का सारहीन होने के खारिज किये जाने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.2020 को बहाल रखा जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 17/12/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली